सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/118 दायर दिनांक 21.07.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. याकूबखाँ पुत्र शौकतखाँ, उम्र—55साल, जाति—देशवाली, निवासी—खुनखुना की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बजरंगसिंह पुत्र छत्रसिंह, 2. जेठूसिंह पुत्र छत्रसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—सानियाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 20.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, शरहद सानियाँ में खेत खसरा नम्बर 583/53 रकबा 14.10 बीघा वादी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी की भूमि वाकै शरहद सानियाँ खसरा नम्बर 53 रकबा 29 बीघा में से 01.05 बीघा भूमि पड़ौस— उत्तर में केताराम स्वयं का इसी खसरा का शेष हिस्सा, दक्षिण में वादी स्वयं, पूर्व में विक्रेतागण (प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02) का इसी खसरा का शेष हिस्सा तथा विक्रेतागण (प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02) स्वयं का इसी खसरा का शेष भाग व क्रेता (वादी) को दिया गया रास्ता की सम्पूर्ण राशि अदा कर दिनांक 05.09.2011 को खरीद की। विक्रय पत्र की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से दिनांक 09.05.2001 को वादी ने खसरा नम्बर 53 रकबा 29 बीघा में से खुनखुना जाने वाले आम रास्ते से होकर दक्षिणी सींव—सींव होते हुए 13 फुट चौड़ा व 804 फुट 09 इन्च लम्बा अर्थात् रकबा 12 बिस्वा जमीन वादी को अपने खेत खसरा नम्बर 583/53 रकवा 14.10 बीघा में आने—जाने हेतु जरिये विक्रय पत्र खरीद सुदा भूमि 01.05 बीघा खेत पश्चिम में सानियाँ से खुनखुना जाने वाला आम रास्ता के मध्य की भूमि की सम्पूर्ण रकम अदा कर खरीद की तथा मौके पर उसी दिवस काबिज हो गया। विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2011 की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

उक्त विक्रय पत्र के अनुसार वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पटवारी को उक्त विक्रय पत्र की छायाप्रति वादी ने दे दी तथा वादी कमाने खाने के लिए विदेश चला गया। इसलिए वादी को यह जानकारी भी नहीं हो सकी कि उक्त विक्रय पत्र के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं। वादी जब विदेश से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016 / 118
दायर दिनांक 21.07.2016, निर्णय दिनांक 20.06.2017
याकूबखाँ बनाम् बजरंगसिंह, वगैरा।

लौटा तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तब वादी ने उक्त विक्रय पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वर्तमान रिकॉर्ड में बन्टवार होकर अलग–अलग खातेदारी हो चुकी है। सम्वत् 2060 में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी में थी जो वर्तमान खतौनी सम्वत् 2068–2071 के राजस्व रिकॉर्ड में अलग हो चुकी है। नकलें वाद के साथ पेश है।

विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2011 के अनुसार वादी आज भी अपने हिस्से पर काबिज है मगर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से वादी को घोषणा खातेदारी व बन्टवारे का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने सम्वत् हाल में वर्षा होने पर वादग्रस्त भूमि पर काश्त की है। मगर प्रतिवादीगण वादी की कमजोरी का फायदा उठाकर वादी को एलानियाँ कहा कि इस वर्ष तो काश्त करली है, आईन्दा काश्त भी नहीं करने देंगे एवं उक्त खरीद सुदा रास्ता को भी अवरूद्ध कर देंगे। यदि ऐसा प्रतिवादीगण द्वारा किया गया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

बिनाया दावा विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2011 को करवाने पर एवं वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर एवं राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 18.07.2016 को लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद सानियाँ में खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 29 में से रकबा 01.05 बीघा विक्रय–पत्र दिनांक 09.05.2011 एवं उक्त दिवस को उक्त खसरा में से रास्ते की भूमि हेतु रकबा 0.12 बीघा भूमि विक्रय–पत्र में दर्ज पड़ौस के मध्य की वादी के नाम बन्टवारा कर अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम सानियाँ सम्वत् 2060–2063 तक की खेवट संख्या 57 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम सानियाँ सम्वत् 2068–2071 तक की खेवट संख्या 180 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम सानियाँ सम्वत् 2068–2071 तक की खेवट संख्या 95 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 09.05.2011 की छायाप्रति वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् को सुना गया। विक्रय–पत्र दिनांक 09.01.2011 के अनुसार दावा डिक्री किया जाने में पक्षकारान् अपनी–अपनी सहमति पेश करते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016 / 118
दायर दिनांक 21.07.2016, निर्णय दिनांक 20.06.2017
याकूबखाँ बनाम् बजरंगसिंह, वगैरा।

हस्तगत प्रकरण में जरिये विक्रय--पत्र दिनांक 09.05.2011 के शरहद सानियाँ में खसरा नम्बर 53 रकबा 29 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा भूमि (उत्तर में– विक्रेतागण का इसी खसरा का भाग, दक्षिण में–क्रेमा याकूबखाँ का खेत, पूर्व में–विक्रेतागण का इसी खसरा का भाग तथा पश्चिम में विक्रेतागण का शेष भाग व क्रेतागण को दिया गया रास्ता की भूमि) वादी याकूबखाँ को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा बेचाण किया गया है। पक्षकारान् उक्त बेचाण अनुसार दावा डिक्री किया जाने की इकबालिया जवाब पेश कर रहे हैं। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवचेन, विक्रय–पत्र दिनांक 09.05.20177 के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद सानियाँ में खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 29 में से रकबा 01.05 बीघा (विक्रय–पत्र दिनांक 09.05.2011 में दर्ज पड़ौस के मध्य) भूमि का वादी याकूबखाँ को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है इस भूमि में आने–जाने हेतु रकबा 0.12 बीघा (चोड़ाई 13 फुट व 804 फुट 09 इंच) भूमि रास्ता हेतु रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को कोर्ट कैम्प–गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/118 — दायर दिनांक 21.07.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. याकूबखाँ पुत्र शौकतखाँ, उम्र–55साल, जाति–देशवाली, निवासी–खुनखुना की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बजरंगसिंह पुत्र छत्रसिंह, 2. जेठूसिंह पुत्र छत्रसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–सानियाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 20.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद सानियाँ में खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 29 में से रकबा 01.05 बीघा (विक्रय–पत्र दिनांक 09.05.2011 में दर्ज पड़ौस के मध्य) भूमि का वादी याकूबखाँ को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है इस भूमि में आने–जाने हेतु रकबा 0.12 बीघा (चोड़ाई 13 फुट व 804 फुट 09 इंच) भूमि रास्ता हेतु रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

Scanned by CamScanner